

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निगम अधिकारियों की ली बैठक शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के दिये निर्देश

रतलाम 24 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम के स्वास्थ्यए राजस्वए विकास शाखा आदि विभागों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने पिछली बैठक में दिये निर्देशों की समीक्षा कर निर्देशित किया कि स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन सांय 4 बजे सफाई व्यवस्था का फीड बैक झोन प्रभारियों सें लेकर कार्य में आने वाली समस्याओं का निराकरण करें।

उन्होंने निर्देशित किया कि नगर में ऐसे रिक्त भूखण्ड जहां कचरा एकत्रित हो रहा है ऐसे भूखण्ड स्वामियों पर जुर्माने की कार्यवाही करें साथ ही ऐसी मदिरा की दुकानें जहां कचरा व गंदगी होती है उन पर भी स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रतिदिन अनुपस्थित सफाई संरक्षकों व स्पॉट फाईन की जानकारी व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये।

बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि सफाई कार्य की मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक जिम्मेदारी से कार्य की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि शहर में यदि कहीं भी कचरा या गंदगी दिखाई दी तो संबंधितों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने एनयूएलम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं को निर्देशित किया कि वे 15 अगस्त तक पी.एम. स्वनिधी के 2500 हितग्राहियों को ऋण दिलाने का लक्ष्य

अनिवार्य रूप से पूर्ण करें अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अलावा कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निगम के राजस्व में वृद्धि किये जाने हेतु निगम की विक्रय योग्य संपत्ति के संबंध में पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर नित्यानंद मार्केट में अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 6 दुकानों के विक्रय हेतु निविदा जारी करने की कार्यवाही करनेए महु रोड स्थित सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय हेतु निविदा जारी किये जाने के पूर्व मार्केट व दुकानों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराने के निर्देश बैठक में दिये।

बैठक में कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्तिए डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान/हॉल/छतए देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेटए टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमिए अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भूमिए अर्जून नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमिए पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानो की जानकारी लेकर विक्रय योग्य संपत्तियों के विक्रय किये जाने हेतु निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए एम.के. जैनए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए निगम सचिव श्री जसवंत जोशीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्राए श्री सुहास पंडितए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूरए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री वासुदेव बैरागीए श्री सतीश यादवए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाडेए किरण चौहानए विनय चौहानए विराट मेहराए सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती सीमा सुरोलियाए सुश्री निर्मला राय आदि उपस्थित थे।

नगर निगम द्वारा अब तक 4561 आयुष्मान कार्ड बनाये गये रतलाम 24 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 24 जुलाई शनिवार को विश्वकर्मा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार त्रिलोक नगरए जवाहर महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अलकापुरीए डिम्पल महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नयागांवए ऑल इंडिया प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए श्री कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगरए बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार राजेन्द्र नगरए महर्षि प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बाजना बस स्टैण्डए श्री माँ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागरए गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार राजेन्द्र नगरए वैष्णोदेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार भगतपुरी रामगढ़ए दीपाली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार दिलीप नगरए विश्वास महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार फ्रीगंजए मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोड व विनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्टेडियम मार्केट पर 140 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 4561 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें। नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 24 जुलाई को 92 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 24 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 24 जुलाई शनिवार को 92 टन कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

24 जुलाई शनिवार को डम्पर व टे<sup>०</sup>क्टर ट्रॉली से 50545ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 29125ए काम्पेक्टर गीला कचरा 10800 व मैजिक 1670 किलो इस तरह कुल 92140 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

1139 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 24 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों व सड़को व चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 24 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1139 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 24 जुलाई को पोलोग्राउण्ड व हाट रोड व गौशाला रोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों व सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी

मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है। ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें

रतलाम 24 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10९000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक ए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें  
रतलाम 24 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम  
श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019  
संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया  
गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व  
व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से  
मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें।  
दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे  
नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से  
बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध  
होगी कार्यवाही

रतलाम 24 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा  
संग्रहण वाहन के ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को  
निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन  
गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें  
अन्यथा ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से  
हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड  
में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा  
डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से  
बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने  
निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से  
प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से प्रतिदिन  
पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित  
किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा

जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क व गली व सार्वजनिक स्थल व नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी व कचरे के ढेर व नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/24जुल2021धन.पा.निगम व रतलाम.